



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27954

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 10189/2025

आफरीन खातून

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: असर मुख्तार, इकराम अहमद

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।
2. तदनुसार, रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
3. वापस लेने का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"